

(घ) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

1. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ।
3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।
4. निम्नलिखित का प्रशासन :
 - (क) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
 - (ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
 - (ग) नौसेना पेंशन विनियम, 1964; और
 - (घ) सशस्त्र सैन्य कर्मिकों को हताहत पेंशनरी अवार्डों के हकदारी विनियम, 1982